न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 34 / 2020 अपील / प्रतापगढ़ (GCMD 2020/00034)
पंजीयन दिनांक– 14.02.2020
निर्णय दिनांक– 27.11.2020

श्री नरेन्द्र कुमार पिता नाथू जी महाजन, निवासी केसुन्दा, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती देऊबाई पत्नि गोपाल भील, निवासी केसुन्दा, तहसील छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री सुशील कोठारी : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री अजय कुमार व्यास : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं–1(वक्त बहस अनुपस्थित)
राजकीय अभिभाषक : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 01 / 2011 निर्णय दिनांक 25.07.2011

निर्णय

दिनांक–27.11.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 01 / 2011 निर्णय दिनांक 25.07.2011 के विरूद्ध दिनांक 19.01.2012 को मय प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 23.01.2020 को दर्ज की गई। जिला प्रतापगढ़ से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 14.02.2020 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम केसुन्दा की आराजी नम्बर 777 रकबा 0.32 हैक्टेयर का आवंटन भू–आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा श्रीमती देऊ बाई पत्नि गोपाल भील को दिनांक 01.12.2010 को किया गया है। उक्त आराजी नम्बर 777 अपीलांट की खातेदारी की भूमि से लगी होकर अपीलांट का नाजायज कब्जा गत 10 वर्षो से चला आ रहा है। आवंटन से पूर्व विधिपूर्वक आवंटन योग्य भूमि की उद्घोषणा जारी नहीं हुई है। वक्त आवंटन सरपंच के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित नहीं था व कौरम के अभाव में आवंटन किया गया है। रेस्पोडेंट देऊबाई ग्राम केसुन्दा की मूल निवासी नहीं है। अतः रेस्पोडेंट संख्या–1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2011 दर्ज कर निर्णय दिनांक 25.07.2011 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.07.2011 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया *"प्रार्थी के अभिभाषक व रेस्पोडेंट क्रमांक 1 व 2 को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी के द्वारा आवंटन से पूर्व आवंटन योग्य भूमि की उद्घोषणा नियमानुसार जारी की गई है। इसके पश्चात ही आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा कोरम पूर्ण होने पर ही विपक्षी संख्या–1 को भूमिहीन मानते हुए ग्राम केसुन्दा की आराजी नम्बर 777 रकबा 0.32 हैक्टेयर का आवंटन किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा आवंटी को कब्जा सुपूर्द कराया जा चुका है। प्रार्थी का नाजायज कब्जा था तो इसे अपना आवेदन आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। प्रार्थी के अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अप्रार्थी नम्बर 1 को किया गया आवंटन विधिपूर्वक नहीं है। अप्रार्थीया कमजोर तबके की महिला होकर भूमिहीन है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया आवंटन विधिपूर्वक होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया*

जाता है। तहसीलदार, छोटीसादडी को लिखा जावे कि आवंटनशुदा भूमि का कब्जा आवंटी को सुपुर्द करने के पश्चात प्रार्थी बलपूर्वक मौके पर कब्जा करता है तो नियमानुसार धारा 183 बी के तहत कार्यवाही की जावें"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्व अपील अधिकारी चित्तौड़गढ़ के यहां से यह पत्रावली मुन्तकिल होकर प्राप्त होने पर अपील पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा अपने पत्रांक 2271 दिनांक 22.07.2016 से राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को सूचित किया गया था कि उनके द्वारा पत्रावली पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है एवं उसके छाया प्रति भी संलग्न भिजवाने का उल्लेख किया गया है परन्तु इस न्यायालय में मुन्तकिली के दौरान राजस्व अपील अधिकारी से उक्त पत्रावली प्राप्त नहीं हुई। इस न्यायालय द्वारा पुनः जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ को लिखने पर उनके द्वारा अपने पत्रांक 1577 दिनांक 14.08.2020 से सूचित किया गया है कि उनके द्वारा पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को भिजवा दी गई है। राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पुनः इस कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक– 2572 दिनांक 25.08.2020 से लिखे जाने पर उनके द्वारा अपने पत्रांक 820 दिनांक 10.10.2020 से सूचित किया गया कि उनके कार्यालय में पत्रावली प्राप्त नहीं हुई। पुनः जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ से विस्तृत पत्रांक 1799 दिनांक 06.10.2020 प्राप्त हुआ जिससे उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को भिजवायी जा चुकी है। राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पुनः अपने पत्रांक 1135 दिनांक 29.10.2020 से अवगत करवाया गया कि उनके कार्यालय में उक्त पत्रावली सम्पूर्ण रेकर्ड तलाशी के बावजूद भी पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त समग्र स्थिति के मद्देनजर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2020 को यह तय किया गया कि राजस्व अपील अधिकारी के पत्रानुसार पत्रावली जिला कलक्टर, प्रतापगढ एवं राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ में भी उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार

अब अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होना संभव नहीं है। अतएवं उभय पक्ष उनके पास उपलब्ध समस्त दस्तावेजात जो उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये हैं, यहां पेश करना चाहते हैं तो आगामी पेशी से पूर्व पेश कर देवें। इस न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना में अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 23.11.2020 को कुल 21 दस्तावेजात मय अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये प्रार्थना–पत्र के साथ पेश किये। उपरोक्त प्रस्तुत समायतशुदा बहस, अपील मेमों, अपील के साथ पेश किये गये दस्तावेजात एवं अतिरिक्त दस्तावेजात के आधार पर हम इस प्रकरण में निर्णय करना उचित समझते हैं। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सुशील कोठारी उपस्थित व रेस्पोडेन्ट संख्या–1 बावजूद सूचना अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या–2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 24.11.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट की खातेदारी की भूमि से लगती हुई है, वक्त आवंटन भूमि मौके पर रिक्त नहीं होकर अपीलांट का नाजायज कब्जा था। अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या–1 को किया गया आवंटन केवल कागजी कार्यवाही है अतः रेस्पोडेंट संख्या–1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार करने बाबत निवेदन किया गया।

राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीया भूमिहीन होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति की राय से आराजी नम्बर 777 रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि का आवंटन विधिपूर्वक प्रार्थीया को किया गया।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के आवेदन पर अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 25.07.2011 को किया गया गया है। दिनांक 25.07.2011 के निर्णय की अपील के लिए 60 दिवस की अवधि दिनांक 24.09.2011 होती है, जबकि अपील दिनांक 19.01.2012 को पेश की गई है प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिये गये

अखण्डित शपथ पत्र एवं वर्णित कारणों तथा न्यायहित में मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अब हम इस प्रकरण में अपील आधारों एवं गुणावगुण पर विचार करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि जिला कलक्टर प्रतापगढ़ द्वारा आवेदन में वर्णित समस्त आधारों पर विवेचन नहीं किया है परन्तु निर्णय निष्कर्ष एवं आवेदन व अपील आधारों पर विवेचन करना प्रासांगिक रहता है। हम प्रकरण में अपील के आवेदन में वर्णित आधारों पर विवेचन करना उचित समझते हैं।

अपीलाण्ट का प्रथम अपील आधार यह है कि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 5 व 6 में कमेटी का कोरम पूर्ण होना आवश्यक माना गया है तथा तीन जन प्रतिनिधियों की आवश्यकता है।

> वस्तुतः संबंधित नियमों के नियम 13 में कमेटी का उल्लेख किया गया है तथा नियम 13(3)(**A**) में कुल तीन सदस्यों का होना वांछनीय है जिसमें से एक का जन प्रतिनिधि होना वांछनीय है। संबंधित आवंटन आदेश में भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं सरपंच तीन सदस्य शामिल है अर्थात् कोरम पूर्ण है तथा एक जन प्रतिनिधि सरपंच उपलब्ध है। अतएवं अपीलाण्ट का यह उज्र विधिमान्य नहीं है।

अपीलाण्ट का द्वितीय उज्र यह है कि आवंटित भूमि आवंटन योग्य नहीं थी तथा उसकी उद्घोषणा जारी नहीं हुई थी तथा उक्त भूमि पर 10 वर्षों से उसका कब्जा होकर भूमि ऑक्यूपाइड थी।

> प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि भूमि आवंटन योग्य नहीं होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि भूमि की किस्म माल है, जो निसन्देह कृषि योग्य है तथा अपीलाण्ट को जो नोटिस दिये गये हैं उनमें भी उसे फसल काश्त करने के आधार पर ही नोटिस दिये गये है, तद्नुसार भूमि आवंटन योग्य नहीं होने का कोई आधार नहीं है। अपीलाण्ट ने यह कहीं भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की कि आवंटित भूमि की उद्घोषणा नहीं हुई हो जबकि पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 01.12.2010 के कॉलम संख्या 15 में स्पष्ट अंकित किया गया है कि भूमि की उद्घोषणा जारी की गयी है। अपीलाण्ट जहां तक उक्त भूमि पर स्वयं के अतिक्रमण होने का

कथन करता है, यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर अतिक्रमण होने बाबत् नोटिस व खसरा परिवर्तनशील के आधार पर उसका वर्ष 2001–02, 2005–06, 2004, 2002–03 में कब्जा रहा है अर्थात् अपीलाण्ट का वर्ष 2001–02 के बाद उक्त भूमि पर अतिक्रमण रहा है। आवंटन दिनांक 01.12.2010 को अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर कब्जा रहा हो, इस हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि इस दिनांक को इस भूमि पर उसका अतिक्रमण विद्यमान हो एवं भूमि आवंटित की गयी हो। यहां हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि ऑक्यूपाइड यानि अधिवासित एवं अतिक्रमित भूमि में मौलिक विधिक अन्तर होता है। कृषि भूमि का अनाधिवासित/अन–ऑक्योपाइड होने पर आवंटन किया जाना अर्थात् अधिवासित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में अपीलाण्ट का वर्ष 2010 में अतिक्रमण अवश्य था परन्तु आवंटन दिनांक 01.12.2010 को उक्त भूमि पर उसे आवंटन की पात्रता मानते हुए उसके पक्ष में आवंटन की अनुशंषा की गई हो अथवा उसने आवंटन आवेदन किया हो, ऐसी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। अधिवास भूमि का आशय यह होता है कि किसी विधिक बल के आधार पर किसी भूमि पर किसी का कब्जा हो, अतिक्रमित भूमि को जो यहां आवंटन दिनांक को होना प्रमाणित भी नहीं है, को अधिवासित होना नहीं माना जा सकता अर्थात् आवंटन दिनांक को उक्त भूमि अधिवासित हो या अनाधिवासित नहीं हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। तद्नुसार अपीलाण्ट का यह उज्र भी समाअत योग्य नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अतिक्रमी का कोई **Locus Standi** नहीं होता। अपीलाण्ट द्वारा उद्घोषित भूमि के सन्दर्भ में यदि वह आवंटन या नियमन की पात्रता रखता हो तो उसके द्वारा आवेदन क्यों नहीं किया गया, इस बाबत् भी कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि आवंटित भूमि पर उसका 10 वर्ष से कब्जा है तथा वह भूमि पर काश्त करता है तथा उसकी अन्य भूमि से यह भूमि जुड़वा है।

अपीलाण्ट की भूमि से यह भूमि जुड़वा होने बाबत् कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है तथा अपीलाण्ट द्वारा इस जुड़वा भूमि पर

उसका अतिक्रमण था तथा छोटी पट्टी के रूप में उक्त भूमि के आवंटन का आवेदन उसके द्वारा किया गया हो, इस हेतु कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है, अतएवं यह आपत्ति भी मान्य नहीं है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि आवंटी सद्भावी कृषक नहीं है, केसुन्दा की निवासी नहीं है, केवल जाति विशेष की छाप लगा देने से किया गया आवंटन उचित नहीं है।

प्रकरण में रेस्पोंडेण्ट के सद्भावी कृषक नहीं होने को सिद्ध करने का दायित्व अपीलाण्ट का था। इस हेतु उसके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अपीलाण्ट केसुन्दा की निवासी नहीं हो, इस हेतु भी कोई साक्ष्य अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में अपीलाण्ट यह कहता है कि अपीलाधीन भूमि उसकी भूमि से लगी हुई भूमि है, अर्थात् यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट के पास पूर्व से भूमियां है, जबकि पटवारी द्वारा इस प्रकरण में जो रिपोर्ट दिनांक 01.12.2010 को की गई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोंडेण्ट/आवंटी अनुसूचित जनजाति की महिला भूमिहीन है तथा उसके परिवार में वह स्वयं तथा 3 नाबालिग पुत्र पुत्रियां है अर्थात् रेस्पोंडेण्ट/आवंटी भूमिहीन अनुसूचित जनजाति की महिला है, तद्नुसार आवंटी को भूमिहीन काश्तकार माने जाने में हस्ब रिपोर्ट कोई शंका नहीं है। आवंटन नियमों के नियम 11(3) में दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार भी यदि अपीलाण्ट द्वारा आवेदन दिया भी जाता तो भी प्राथमिकता क्रम से आवंटी/रेस्पोंडेण्ट ही अधिक वरीय होता, जैसाकि नियमों में प्राथमिकता का क्रम तय किया गया है।

अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि भू–आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों को पूर्व सूचना नहीं दी गई, न ही अन्य तकनीकी पूर्तियां की गई है।

अपीलाण्ट द्वारा अपने आवेदन के कलम संख्या 6 में जिन तकनीकी आधारों का उल्लेख गया गया है, उस पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

उपरोक्तानुसार अपीलाण्ट द्वारा अपने आवेदन में लिये गये किसी आधार पर रेस्पोंडेण्ट आवंटी को किये गये आवंटन की वैद्यता अथवा आवंटन के **Fraud** एवं **Misrepresentation** के आधार पर किया जाना नहीं माना जा सकता। अपीलाण्ट द्वारा अपील में भी कमोवेश आवेदन वर्णित आधार लिये गये हैं, कोई अन्य विशिष्ट आधार नहीं लिया गया है, तद्नुसार अपील मेमो के आधार पर भी रेस्पोंडेण्ट आवंटी का आवंटन निरस्त किये जाने के कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा न्यायिक नजीर 2016(2) **RRT** पेज 813 पेश की गयी है जिसमें यह उल्लेख गया है कि जिला कलक्टर द्वारा उभय पक्षों द्वारा लिये गये आधारों का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में समस्त तथ्यों का विवेचन कर निर्णय पारित किया जाना चाहिये। हमारे द्वारा अपीलाण्ट के आवेदन, प्रार्थना–पत्र व उसकी अपील में वर्णित समस्त आधारों का विवेचन करते हुए हम यह पाते हैं कि हालांकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त आवेदन वर्णित तथ्यों का विवेचन नहीं किया गया है, जो हमारे द्वारा उपरोक्तानुसार कर दिये गये हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस अंतिम निर्णय पर पहुंचा गया है, उसमें उसके द्वारा अनुसूचित जनजाति की भूमिहीन महिला को किये गये आवंटन को बहाल रखते हुए जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

प्रकरण में अब हम अपीलांट की अपील पर गुणावगुण विचार करना उचित समझते है। प्रकरण में सुस्पष्ट है कि अपीलांट रेस्पोडेंट विपक्षी को आवंटित भूमि पर अपना अतिक्रमण एवं कब्जा होना बताते हुए विपक्षी रेस्पोडेंट को किये गये आवंटन को त्रुटिपूर्ण होना बताता है। यह भी स्पष्ट है कि आवंटन वर्ष में अपीलांट का कब्जा निरन्तर रखे जाने अथवा नियमित किये जाने का कोई साक्ष्य पेशशुदा नही है। प्रथमतया तो अतिक्रमी का कोई लोकस स्टेण्डाई नही होता। प्रकरण में जहां तक आवंटन प्राथमिकता एवं अनाधिवासित भूमि का अपीलांट का आक्षेप है इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्य एवं विधि का आख्यापक विवेचन करते हुए अपीलांट के आक्षेपों को विवेचित कर खण्डन किया है, जिसे हम उचित पाते है।

प्रकरण में हम अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील को उपरोक्त विवेचनानुसार तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये पूर्ण तथ्यात्मक एवं विधि विवेचन के दृष्टिगत सारहीन पाते है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज की जाती है।